न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 39/2021 बउनवानी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार पुत्र स्व. श्री शेर सिंह यादव, नि0 34 अल्कापुरी–ए, मुरलीपुरा जयपुर–302039,

GCMS No-2021/80

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
14.7.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत लोक सूचना अधिकारी एवं एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत दिनांक 27.04.2021 को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जो अति0 जिला कलेक्टर स0मा0 के पत्रांक एफ.2(95)सूकाअ/2021/852 दिनांक 30.4.2021 को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गयाः– 1. अजीत शेखावत पुत्र श्री ओनाड सिंह द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर प्रेषित परिवाद विरूद्व प्रार्थी डॉ0भूपेन्द्र यादव दिनांक 10.8.2017 परिवाद संख्या 02170792133439 के परिवाद एवं जॉच रिपोर्ट की पूर्ण विवरण की प्रमाणित प्रति। 2. भोजराज पुत्र अजीत सिंह शेखावत द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर प्रस्तुत परिवाद संख्या 02210789535112 विरूद्व राजरानी यादव वगै. दिनांक 21.3.2021 एवं पुनः उक्त परिवाद के संदर्भ में ही प्रस्तुत शिकायत दिनांक 23.3.2021 विरूद्व गिरदावर, पटवारी वगै. उक्त परिवाद की प्रमाणित प्रति मय जॉच रिपोर्ट एवं की गयी कार्यवाही एवं प्रेषित सूचना परिवादी के विवरण की प्रमाणित प्रति। 3. यह है कि मु.न. 185/2021 विरूद्व रामचरण गुर्जर पुत्र लडडू गुर्जर ,186/2021 मांगीलाल पुत्र लडडू गुर्जर,187/2021 विरूद्व राजेन्द्र पुत्र लडडू गुर्जर के निर्णय मय 91 एलआर एक्ट के तहत तहसीलदार खण्डार द्वारा जारी नोटिस मय मु.न.186/2021 में मांगीलाल के विरूद्व जारी गिरफ्तारी वारण्ट दिनांक 30.3.3021 मय कार्यवाही रिपोर्ट तथा जारी स्थायी वारण्ट गिरफ्तारी की प्रमाणित प्रति तथा उक्त तीनो प्रकरणों 185/21, 186/21,187/21 एवं 308/2020 बाबत गै0मु0रास्ता से अतिक्रमण हटाने के संबंध में जारी आदेश, सम्पूर्ण कार्यवाही जारी पत्राचार मय कार्यवाही रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति। 4. यह है कि मु0न0 137/2020 विरूद्व रामचरण उर्फ मोटा गुर्जर पुत्र लडडू के संबंध में ख0न0 362/1 ग्राम कटार तहसील खण्डार द्वारा इस प्रकरण में अतिक्रमण हटाने के संबंध में 91 एलआर एक्ट के प्रकरण में की गयी कार्यवाही, पत्राचार,पटवारी/गिरदावर से प्राप्त रिपोर्ट कार्यवाही स्थाई गिरफ्तारी वारन्ट एवं उक्त ख0न0 362/1 ग्राम कटार के संबंध में माह मार्च,21 रबी सीजन वि0स0 2077 में गिरदावर हेतराज मीना द्वारा प्रस्तुत समस्त रिकार्ड, खसरा परिवर्तनशील मय निर्णय की प्रमाणित प्रति। 5. यह है कि उक्त ख0न0 362/1 ग्राम कटार गिरदावर मण्डल फरिया के विक्रमी सम्वत,2074 से 2077 तक खसरा गिरदावरी मय खसरा परिवर्तनशील मय जमाबन्दी की तहसीलदार खण्डार के रिकार्ड मे उपलब्ध रिकार्ड की प्रमाणित प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित पक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवाई उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक रीडर/21/1674 दिनांक 22.6.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना जरिये पत्रांक विविध/21/95 दिनांक 24.5.2021 से जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलान्ट को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:41:31 IST
Reason: SelfAttested

भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना के लिए 36/—रू शुल्क जमा करवाने हेतु एवं पत्रांक 701 दिनांक 11.5.2021 एवं 20/—रू शुल्क जमा करवाने हेतु जरिये पत्रांक 815 दिनांक 18.6.2021 से लिखा जा चुका है। तथा बिन्दु संख्या 4 पर चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय को भिजवा दिया जाने के कारण उक्त बिन्दु की सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है तथा पटवारी मण्डल फरिया का चार्ज अतिरिक्त पटवार मण्डल के पास होने तथा अतिरिक्त पटवार मण्डल रिक्त पटवार मण्डल के कार्य बहिष्कार करने के कारण उक्त बिन्दु की सूचना तैयार नही हो सकती जिसके संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 27.04.2021 में चाही गयी सूचना मे सें बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 3 की सूचना के लिए अपीलान्ट को क्रमशः 36/—रू एवं 20/—रू जमा करवाने हेतु लिखा जा चुका है। बिन्दु संख्या 4 से संबंधित सूचना की मूल पत्रावलियॉ अति० जिला कलेक्टर न्यायालय में होने के कारण तथा बिन्दु संख्या 5 की सूचना पटवारी का पद रिक्त होने के कारण उपलब्ध नही करवायी जा सकी है। अतः बिन्दु संख्या 4 की सूचना अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय से रिकार्ड प्राप्त हो जाने पर उपलब्ध करवायी जावे। चूंकि पटवारियान द्वारा अतिरक्त कार्यभार को लेकर जारी बहिष्कार अब समाप्त हो चुका है इसलिए बिन्दु 5 की सूचना भी अपीलान्ट को 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाने हेतु तहसीलदार खण्डार को निर्देशित किया जाता है। साथ ही अपीलान्ट को भी निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 3 की सूचना के लिए यदि उनके द्वारा अभी तक शुल्क जमा नही करवाया है तो अब शुल्क जमा करवाकर उक्त बिन्दु की सूचना प्राप्त कर सकते है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:41:31 IST
Reason: SelfAttested